रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938
No. 313] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 471(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि चीनी का कोई भी व्यौहारी, किसी भी समय चीनी का कोई स्टाक, ऐसे स्टाक के प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय, स्टाक की, नीचे वर्णित स्थानों में, प्रत्येक के सामने उल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं रखेगा—

(i) कोलकाता और विस्तारित क्षेत्र में,—

व्यौहारी, जो पश्चिम बंगाल के बाहर से चीनी को लाते हैं - 10,000 क्विंटल;

(ii) अन्य स्थानों में – 5000 क्विंटल :

परन्तु इस आदेश की कोई बात, निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गए चीनी के स्टाक को लागू नहीं होगी—

(i) सरकारी मदें स्टाक; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यौहारियों द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टाक ; या

(iii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखा गया स्टाक।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त आदेश के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को अपने राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को इस शर्त के अध्यधीन स्टाक रखने और व्यापारावर्त की सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करती है कि स्टाक रखने की सीमा और/या व्यापारावर्त की अवधि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त यथाविनिर्दिष्ट सीमा या अवधि से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

(i) "कोलकाता और विस्तारित क्षेत्र" से पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना सं. 7752/एफएस/ एफ.5/14आर92/61, तारीख 16 दिसम्बर, 1964 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ii) स्टाक धारण करने की अवधि की संगणना के लिए, वह तारीख, जिसको व्यौहारी द्वारा कोई स्टाक प्राप्त किया जाता है, सम्मिलित की जाएगी।

(iii) व्यौहारी में, वे सभी व्यक्ति, जो फैक्ट्री के आहते से की गई चीनी की सुपुर्दगी के बाद चीनी व्यापार चैनल में संलिप्त हों और उपभोक्ताओं को प्राप्त हो जाने तक, शामिल हैं ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तुरंत प्रभावी होगा और उक्त आदेश तत्पश्चात् 180 दिनों तक प्रवृत्त रहेगा :

परंतु असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्यों और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में यह आदेश 22 मई, 2016 से प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 1[6]/2016-एसपी-1]

जी. एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2016

G.S.R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no dealer of sugar shall hold any stock for a period exceeding thirty days from the date of receipt by him of such stock and shall not keep sugar in stock at any time, in the places mentioned below, in excess of the quantities mentioned against each—

(i) in Kolkata and extended area—

Dealers who bring sugar from outside West Bengal – 10000 quintals;

(ii) in other places – 5000 quintals:

Provided that nothing in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar—

(i) on Government account; or

(ii) by the dealers nominated by State Government or an officer authorized by it to hold stock for distribution through fair price shops under Public Distribution System ; or

(iii) by the Food Corporation of India.

Further, in exercise of powers conferred by clause 15 of the said Order, the Central Government authorises the State Governments or Union territory Administrations to fix the stock holding and turn over limits in their respective States or Union territories subject to the condition that the stock holding limit and / or the turn over period shall not be higher than the limit or period as being specified above by the Central Government.

Explanation.—For the purpose of this Notification—

(i) "Kolkata and extended area" means the area specified in the schedule to the notification of the Government of West Bengal No. 7752/FS/F.5/14R92/61, dated the 16th December, 1964.

(ii) For counting the period of holding of the stock, the date on which any stock is received by the dealer shall be included.

(iii) Dealer includes all persons involved in the sugar trade channel after sugar is delivered from the factory premises and till it is received with the consumers.

2. This Order shall come into force with immediate effect from the date of its publication in the Official Gazette and the said order shall remain into force for a period of 180 days thereafter :

Provided that this Order shall come into force with effect from the 22nd day of May, 2016 in respect of the States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and the Union territory of Puducherry.

[F. No. 1[6]/2016-SP-I]

G. S. SAHU, Director (Sugar Policy)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.